भारत सरकार

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय

पशुपालन और डेयरी विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- 2000

दिनांक 01 अगस्त, 2023 के लिए प्रश्न

चारा उत्पादन के घटक

2000. श्री चंद्र शेखर साहू:

श्री राहुल रमेश शेवाले:

डॉ. प्रीतम गोपीनाथ राव मुंडे:

क्या **मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विशेषकर अर्ध-शुष्क क्षेत्रों में चरागाह क्षेत्र में तेजी से गिरावट आई है और देश में पशुधन क्षेत्र पर इसका क्या प्रभाव पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने विगत पांच वर्षों के दौरान चारा उत्पादन के घटकों का अध्ययन करने के लिए पहल की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) इस घटते क्षेत्र को पुनः प्राप्त करने की युक्ति तैयार करने/वनीकरण के लिए उपाय करने वाले कौन-कौन से अग्रणी राज्य हैं;

(ङ) देश में, विशेषकर ओडिशा में राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार कितनी गौशालाएं हैं और उनमें कितनी गायें पाली जा रही हैं;

(च) क्या सरकार द्वारा इन गौशालाओं को राजसहायता प्रदान करने के लिए कोई निदेश या उपाय किया गया है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसी सहायता के लिए निर्धारित मानदण्डों का ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री

(श्री परशोत्तम रूपाला)

(क) जी, हां। अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र द्वारा तैयार भारत के मरुस्थलीकरण और भूमि क्षरण एटलस जून, 2021 के अनुसार, अर्ध शुष्क क्षेत्रों में क्षरित (डिग्रेडिड) भूमि का क्षेत्रफल वर्ष 2003-05, वर्ष 2011-13 और वर्ष 2018-19 में क्रमशः 34.85 मिलियन हेक्टेयर, 35.40 मिलियन हेक्टेयर और 36.02 मिलियन हेक्टेयर होने का अनुमान लगाया गया था, परिणामस्वरूप पशुधन के लिए चारे की उपलब्धता प्रभावित हो रही है।

(ख) और (ग) नीति आयोग, भारत सरकार के विकास, निगरानी और मूल्यांकन कार्यालय ने जुलाई 2021 में कृषि, पशुपालन और मत्स्यपालन क्षेत्र संबंधी अपनी क्षेत्रीय रिपोर्ट प्रस्तुत की है। इस रिपोर्ट में इस विभाग द्वारा कार्यान्वित चारा उत्पादन घटक का अध्ययन शामिल है और इसमें सिफारिशें की गई हैं।

(घ) अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र द्वारा तैयार भारत के मरुस्थलीकरण और भूमि क्षरण एटलस जून 2021 के अनुसार, देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल (टीजीए) के संबंध में मरुस्थलीकरण/भूमि क्षरण के दौर से गुजर रहे क्षेत्रफल में से लगभग 23.79% (2018-19), 23.63% (2011-13) और 23.34% (2003-05) राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख, झारखंड, ओडिशा, मध्य प्रदेश और तेलंगाना (अवरोही क्रम में) का योगदान है। शेष सभी राज्य देश के टीजीए में 1% (व्यक्तिगत रूप से) से कम का योगदान दे रहे हैं।

(ङ) मूलभूत पशुपालन सांख्यिकी के अनुसार देश में ओडिशा राज्य सहित गौशालाओं की कुल संख्या 7676 है। गौशालाओं की राज्यवार विस्तृत सूची अनुबंध में संलग्न है। उन गौशालाओं में गायों की संख्या के आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

(च) और (छ) भारत के संविधान के अनुच्छेद 246 (3) के अनुसार, पशुधन का परिरक्षण, संरक्षण और सुधार तथा जीव-जंतुओं के रोगों का निवारण; पशु चिकित्सा प्रशिक्षण एवं व्यवसाय राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं, जिसके लिए राज्यों के पास कानून बनाने की अनन्य शक्तियाँ हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 (ब) के अनुसार, स्थानीय नगर पालिका गोपशु अहातों और पिंजरापोल के लिए जिम्मेदार है। इसलिए, राज्य आवारा गोपशुओं को रखने के लिए पंचायतों को गोपशु अहाते (कांजी गृह)/गौशाला आश्रय गृह (सामुदायिक संपत्ति) स्थापित करने और चलाने के लिए सक्षम बनाएंगे। कई राज्यों ने आवारा गोपशुओं के लिए गौशालाओं और आश्रय गृहों की स्थापना की है और उन पशुओं के चारे की व्यवस्था की है।

उपर्युक्त संवैधानिक उपबंधों को ध्यान में रखते हुए राज्य को आवारा पशुओं पर उचित कार्रवाई करने का अधिकार है। इसके अतिरिक्त, भारतीय जीव जंतु कल्याण बोर्ड, बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त जीव जंतु कल्याण संगठनों के माध्यम से आश्रय स्थल स्थापित करने के लिए कुछ सहायता प्रदान कर रहा है।

अनुबंध

देश में गौशालाओं की राज्य-वार सूची

क्र.सं.	राज्य के नाम	अन्य
1	आंध्र प्रदेश	56
2	अरुणाचल प्रदेश	
3	असम	16
4	बिहार	87
5	छत्तीसगढ	117
6	गोवा	9
7	गुजरात	1418
8	हरियाणा	640
9	हिमाचल प्रदेश	221
10	जम्मू और कश्मीर	36
11	झारखंड	31
12	कर्नाटक	220
13	केरल	-
14	मध्य प्रदेश	905
15	महाराष्ट्र	222
16	मणिपुर	
17	मेघालय	
18	मिजोरम	शून्य
19	नागालैंड	-
20	ओडिशा	93
21	पंजाब	447
22	राजस्थान	2269
23	सिक्किम	-
24	तमिलनाडु	75
25	तेलंगाना	175
26	त्रिपुरा	
27	उत्तराखंड	34
28	उत्तर प्रदेश	582
29	पश्चिम बंगाल	
30	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह*	-
31	चंडीगढ़	3
32	लद्दाख	0
33	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	6
34	दिल्ली	4
35	लक्षद्वीप	0
36	पुदुचेरी*	-
अखिल भारतीय		**7676**

'-'उपलब्ध नहीं/प्राप्त नहीं,

* पिछले वर्ष के आंकड़ों का उपयोग किया गया।

स्रोतः राज्य/संघ राज्य क्षेत्र पशुपालन विभाग